

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली कैम्प कोठार  
पीठासीन अधिकारी: श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस

प्रार्थी  
हजाराम पुत्र हस्ताजी जाति  
सरगरा साकिन कोठार  
तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी  
तहसीलदार, बाली

प्रकरण संख्या :- 63/2021 *UPKMS HD 21/21* / 155  
बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक : 11.11.2021  
प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब नय रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मन्दर के खसरा न. 2589, 2590 से 2605, 2620 से 2623 कुल खसरा 21 रकबा 4.38 है, भूमि स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जनाबंदी सन्वत् 2076 से 2079 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी का त्रुटिपूर्ण नाम हजाराराम पुत्र हस्ता दर्ज है तथा अतः रेकॉर्ड को दुरुस्त करते हुए प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हजाराम पुत्र हस्ता करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब नय पटवारी रिपोर्ट भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकॉर्ड जनाबंदी सन्वत् 2076 से 2079 में दर्ज बतौर सह खातेदार संख्या 06 पर प्रार्थी का त्रुटिपूर्ण नाम हजाराराम पुत्र हस्ता दर्ज है, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हजाराम पुत्र हस्ता प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, नरंगा जॉब कार्ड व शपथ पत्र की प्रतियों के अनुसार है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली, भू अभिलेख निरीक्षक, नाना व पटवारी हल्का मन्दर ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सही नाम दुरुस्ती के नाध्यन से दर्ज किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मन्दर के खसरा न. 2589, 2590 से 2605, 2620 से 2623 कुल खसरा 21 रकबा 4.38 है, भूमि में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम हजाराराम पुत्र हस्ता को दुरुस्त करते हुए प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हजाराम पुत्र हस्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकॉर्ड में दर्ज शेष सभी इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। अप्रार्थी भूमिधारी आदेश की पालना तुरन्त कर राजस्व रेकॉर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरमद करे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर दाखिल दफ़्तर होकर नम्बर से कम हो।



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
कैम्प कोठार

दिनांक 11.11.2021 नजमें कैम्प कोठार में पक्षकारों को सुनाया गया।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
कैम्प कोठार